राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः एफ.4(13)पंरावि/सशक्त/जन./2010/48 जयपुर,दिनांकः 14-7-2011

प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि,
स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।

विषयः पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित कार्यकलापों का प्रभावी हस्तान्तरण सुनिश्चित करने बाबत।

संविधान के 73वें संशोधन की मूल भावना के अनुरूप 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से जुड़ी गतिविधियों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने के क्रम में प्रथम चरण में प्रारम्भिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला स्तर तक की निधिया, गतिविधियां एवं स्टाफ को पूर्ण कटिबद्धता के साथ प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के संदर्भ में विस्तृत आदेश मुख्य सचिव के आदेश दिनांक 02.10.2010 द्वारा जारी किये गये थे। उक्त आदेशों के अनुसरण में पांचों विभागों के प्रमुख शासन सचिवों द्वारा विस्तृत आदेश दिनांक 02.10.2010 को जारी करते हुए स्टाफ एवं गतिविधियां पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दी गई है।

इसी क्रम में हस्तान्तरण के संदर्भ में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य स्तर पर गठित मंत्रीगण की समिति के निर्णयानुसार आदेश दिनांक 14.03.2011 प्रसारित किये गये है।

पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर गठित स्थाई समितियों को कार्यशील करने के लिये विभागीय परिपत्र दिनांक 18.03.2011 द्वारा नियमित रूप से बैठकों के आयोजन हेतु तिथियों का निर्धारण करते हुए निर्देश जारी किये गये है।

पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित की गई निधियों, गतिविधियों एवं स्टाफ का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जावे एवं जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित निर्देश प्रसारित करें।

(सी.एस.राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि –

1. जिला प्रमुख – समस्त।
2. जिला कलक्टर – समस्त।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् – समस्त।

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (एस.ए.पी.)

D:\29 SUBJECTS1\ChawlaPA\Letter_New.doc